"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 268] रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2002—कार्तिक 4, शक 1924

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-2/2002/16-ए.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 26 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.
   (2) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे, जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं. उपान्तरणों के अध्याधीन रहते हुये समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश", जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित दिये जायें.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुये) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनु. क्र. (1)	विधियों के नाम (2)
1.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 एवं म. प्र. नियम, 1958.
2.	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 एवं नियम, 1963.
3.	बंधक श्रमिक प्रथा (उत्सादन) अधिनियम, 1976 एवं नियम, 1976.
4.	अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 एवं म. प्र. नियम, 1981.
5.	श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 एवं नियम, 1957.
6.	विक्रय संवर्धन (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 एवं नियम, 1976.
7.	कारखाना अधिनियम, 1948 एवं म. प्र. नियम, 1962.
8.	व्यवसायिक संघ अधिनियम, 1926 एवं म. प्र. नियम, 1961.
9.	वेतन संदाय अधिनियम, 1936 एवं म. प्र. अधिनियम, 1962.
10.	उपादान संदाय अधिनियम, 1972 एवं म. प्र. नियम, 1973.
11.	बोनस संदाय अधिनियम, 1965 एवं नियम, 1975.
12.	कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 एवं म. प्र. निमय, 1973.
13.	श्रम विधि (कतिपय स्थापनाओं को विवरणी भेजने एवं पंजिया संधारित करने छूट) अधिनियम, 1988 एवं नियम.
14.	संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 एवं म. प्र. नियम, 1973
15.	बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 एवं म. प्र. नियम, 1968.
16.	बाल श्रम (विनियमन एवं प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 एवं म. प्र. नियम, 1993.
17.	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 एवं नियम, 1976
18.	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 एवं म. प्र. अधिनियम, 1965.
19.	म. प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 एवं नियम, 1961.
20.	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 एवं म. प्र. अधिनियम, 1957.
21.	म. प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 एवं नियम, 1963.

(1)	(2)
22.	म. प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 एवं नियम, 1959.
23.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम.
24.	बिक्री उन्नयन कर्मचारी (सेल्स प्रमो. एम्प्लाईस) सेवा की शर्तें अधिनियम, 1976.
25.	कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध (प्रोविजन्स) अधिनियम, 1952.
26.	वैयक्तिक अपकृति (पर्सनल इन्जुरीज) (ई.पी.) अधिनियम.
27.	खान अधिनियम तथा कोयला खानों से संबंधित अधिनियम.
28.	औद्योगिक कामगार ऋणग्रस्तता अधिनियम.
29.	वैयक्तिक अपकृति (इन्जुरिज) प्रतिकर बीमा अधिनियम.
30.	म. प्र. श्रम सेवा (राजपत्रित) नियम, 1966.
31.	म. प्र. श्रम सेवा (अराजपत्रित वर्ग-3) नियम, 1966

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ-10-2/2002/16-ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-2/2002/16-ए दिनांक 25-10-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.

Raipur, the 25th October 2002

NOTIFICATION

No. F-10-2/2002/16-A.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organization Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following order, namely :—

ORDER

1. (1) This order may be called the adaptation order 2001.
   (2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November 2000.

2. The Laws as amended from time to time. Specified in the Schedule to this order which were in force in this State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in laws for the words "Madhya Pradesh" they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, by-laws, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Act (2)
1.	Minimum wages Act, 1948 and M. P. Rules, 1958.
2.	Motor Transport workers Act, 1961 & Rules, 1963.
3.	Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 & Rules, 1976.
4.	Inter state migrant workman (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1979 and M. P. Rules, 1981
5.	Working Journalists and other news paper employees (Condition of Service) and miscellaneous provision Act, 1955 and Rules, 1957.
6.	Sales Promotion employees (Condition of Service) Act, and Rules, 1976.
7.	Factories Act, 1948 and M. P. Rules, 1962.
8.	Trade Union Act, 1926 and M. P. Rules, 1962.
9.	Payment of wages Act, 1936 and M. P. Rules, 1962.
10.	Payment of Gratuity Act, 1972 and M. P. Rules, 1973.
11.	Payment of Bonus Act, 1965 and Rules, 1975.
12.	Workman Compensation Act, 1923 and Rules, 1973.

(1)	(2)
13.	Labour Laws (exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Act, 1988.
14.	Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and M. P. Rules, 1973.
15.	Beedi and Cigra Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 and M. P. Rules, 1968.
16.	Child labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 and M. P. Rules, 1993.
17.	Equal Remuneration Act, 1976 and Rules, 1976.
18.	Maternity Benefit Act, 1961 and M. P. Rules, 1965.
19.	M. P. Industrial Relation Act, 1960 and Rules, 1961.
20.	Industrial Disputes Act, 1947 and M. P. Rules 1957.
21.	M. P. Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 and Rules, 1963.
22.	M. P. Shops and Establishment Act, 1958 and Rules, 1959.
23.	Employees State Insurance Act, 1948.
24.	Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952.
25.	Personal Injuries (E.P.) Act.
26.	Agriculture Workers Act.
27.	Bidi Workers Welfare Fund, Act, 1966.
28.	Personal Injuries (Compensation Insurance) Act.
29.	Indebtedness of Industrial Workers Act.
30.	Madhya Pradesh Labour (Gazetted) Service Rules, 1985.
31.	Madhya pradesh Labour Service (Class III Non Gazetted) Recruitment Rules, 1966.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. S. MURTHY. Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.